राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: 11 (2)/ मो./एमपीआर/आईसीडीएस/2017–18 11621५-२५6 जयपुर, दिनांक 1/10/18

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त।

विषयः– आंगनबाडी केन्द/मिनी आंगनबाडी केन्द्रों का परियोजनावार अंक मिलान करवाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में 304 बाल विकास परियोजनाएँ ग्रामीण, शहर एवं जनजाति क्षेत्र में संचालित हो रही थी लेकिन बाल विकास परियोजना मुख्यालय से आंगनबाडी केन्द्रों की दूरी 50–150 किमी तक संचालित होने के कारण प्रशासनिक कार्यो में आने वाली समस्या तथा आंगनबाडी केन्द्रों का समय पर निरीक्षण न होना व आमजन नागरिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए इस दृष्टी से भारत सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत कर अनुमति उपरान्त विभाग के आदेश दिनांक 07.06.2018 द्वारा बाल विकास परियोजनाओं का परिसीमन करते हुए 21 बाल विकास परियोजनाओं का विलोपन तथा 21 नई परियोजनाऐं नवसृजित कर 304 बाल विकास परियोजनाओं में ही संचालन संचालन करने के निर्देश दिये गये थे।

आपको निर्देशित किया जाता है कि परियोजनाओं के पुर्ननिर्धारण अनुसार ग्रामीण, शहरी एवं जनजाति क्षेत्र के अनुसार परियोजनावार मुख्य आंगनबाडी केन्द्र/मिनी आंगनबाडी केन्द्रों का अंक मिलान निर्धारित प्रपत्र के अनुसार सूचना सहित दिनांक 03.10.2018 से 08.10.2018 तक निदेशालय में उपस्थित होकर करवाना सुनिश्चित करावें तथा माह सितम्बर 2018 की मासिक MPR में परियोजनाओं के पुर्ननिर्धारण अनुसार दिनांक 10.10.2018 तक निदेशालय में भिजवाने की सुनिश्चित व्यवस्था करावें।

उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग उदयपुर, सिरोही, राजसमन्द, चित्तौडगढ एवं पाली को निदेशालय के पत्र दिनांक 20.07.2018 के साथ आयुक्त, जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर द्वारा दिनांक 05.06.2018 को जारी परिपत्र की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशित किया था कि समेकित बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत कुछ परियोजनाओं की आंगनबाडी केन्द्र जनजाति क्षेत्र में समाहित किया गया है। उन परियोजनाओं को TSP/Non TSP अंकित कर प्रतिमाह भेजी जाने वाली मासिक सूचनाओं में भिजवाने की सुनिश्चित व्यवस्था करावें।

साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि माह 30 नवंबर, 2018 तक भौतिक प्रगति की प्रति माह भेजी जाने वाली मासिक MPR की सूचनाऐं परियोजनाओं के पुर्ननिर्धारण अनुसार 5 दिसम्बर, 2018 तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें। ताकि सूचनाओं का समयावधि में संकलित कर विभाग का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन एवं प्रगति विवरण की 325 प्रतियां निर्धारित समय में छपवाकर विधानसभा के आगामी बजट सत्र से पूर्व 31 दिसम्बर 2018 तक आवश्यक रूप से भिजवाया जा सके, अन्यथा विलम्ब के लिए आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः 11 (2)/ मो./एमपीआर/आईसीडीएस/2017–18 /76254 जयपुर, दिनांक 1/10/18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :– 550

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारियों को पत्र प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि परियोजनाओं के पुर्ननिर्धारण अनुसार परियोजनावार सूचना उपनिदेशक कार्यालय को समयावधि में भिजवाना सुनिश्चित करे।

– [illegible]

अतिरिक्त निदेशक (आई)
समेकित बाल विकास सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर।

DIRECTORATE OF INTEGRATED CHILD DEVELOPMENT SERVICES

Name of District -----------------------

Format

SNO	Name of Project	Type of Project Rural, TSP & Urban	No. of AWCs			No. of Mini AWCs			No. of AWWs			No. of Mini AWWs			No. of AWHs			No. of Asha Sahyogini		
			Sanctioned	Operational	Non Operati	Sanctioned	Operational	Non Operati	Sanctioned	In Position	Vacant	Sanctioned	In Position	Vacant	Sanctioned	In Position	Vacant	Sanctioned	In Position	Vacant
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				